मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XX अंक 5 अगस्त 2024

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियमन	2-3
III. फिनटेक	3
IV. वित्तीय बाजार	3
V. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	3
VI. डीएसआईएम	4
VII. वित्तीय समावेशन और विकास	4
VIII. मुद्रा जारीकर्ता	4
IX. प्रकाशन	4
X. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के अगस्त 2024 संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा माह के दौरान किए गए नए गतिविधियों और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है। हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. मौद्रिक नीति

8 अगस्त 2024 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने 8 अगस्त 2024 को मौद्रिक नीति वक्तव्य प्रस्तुत किया। अपने आरंभिक भाषण में गवर्नर ने उल्लेख किया कि यह मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 50वीं बैठक थी। यह लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे के लगभग आठ वर्षों का प्रतीक है, जिसने महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनीतिक संकटों जैसे अत्यधिक तनाव वाली अवधि के दौरान भी समष्टि-आर्थिक स्थिरता को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत की संवृद्धि मजबूत बनी हुई है, मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है, तथा देश के मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे ने इसके भावी संभावनाओं के प्रति विश्वास को बढ़ाया है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर रखने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति के आकलन पर टिप्पणी करते हुए, गवर्नर ने कहा कि विनिर्माण में मंदी और सेवा गतिविधि में स्थिर संवृद्धि के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार लेकिन असमान रूप से बढ़ रही है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है, हालांकि सेवाओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। मौद्रिक नीतियां अलग-अलग हो रही हैं, क्योंकि कुछ केंद्रीय बैंक नीतिगत बदलावों का संकेत दे रहे हैं तथा अन्य और सख्त हो रहे हैं। वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर हैं, साथ ही, बॉण्ड प्रतिफल और डॉलर सूचकांक में नरमी है।

मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति और संवृद्धि की इन स्थितियों का क्या मतलब है?

गवर्नर ने कहा कि खाद्य कीमतों में हो रहे निरंतर उतार-चढ़ाव ने अवस्फीति को धीमा कर दिया है और खाद्य मुद्रास्फीति की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है, जिसका हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 46% की हिस्सेदारी है। घरेलू मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर इसके प्रभाव तथा वेतन वृद्धि और उच्च कीमतों के माध्यम से मूल मुद्रास्फीति पर संभावित प्रभाव को देखते हुए, एमपीसी, सतत खाद्य मुद्रास्फीति को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हालाँकि एमपीसी आमतौर पर क्षणिक खाद्य मुद्रास्फीति को देख सकता है, लेकिन वर्तमान में लंबे समय से जारी उच्च खाद्य मुद्रास्फीति पर सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि दूसरे दौर के प्रभावों को रोका जा सके तथा मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता बनाए रखा जा सके।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति के बारे में बात करते हुए, गवर्नर ने उल्लेख किया कि प्रणालीगत चलनिधि, जोकि जून में घाटे में थी, वह जुलाई में अधिशेष में बदल गई, जिसके कारण रिज़र्व बैंक ने एलएएफ के तहत दो-तरफ़ा परिचालन किया ताकि अंतर-बैंक ओवरनाइट दर को नीति रेपो दर के साथ संरेखित रखा जा सके। इसके परिणामस्वरूप भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) एलएएफ कॉरिडोर के मध्य के पास बनी रही। सीडी और टी-बिल पर प्रतिफल कम हुआ, जबकि सीपी प्रतिफल स्थिर रहा, और 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में नरमी आई। भारतीय रुपया सीमित दायरे में रहा, जो भारत की मजबूत समष्टि आर्थिक स्थिरता और बाहरी क्षेत्र की सुधरती संभावना को दर्शाता है।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने कहा कि भारतीय वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी हुई है, जो व्यापक समष्टि-आर्थिक स्थिरता, सुव्यवस्थित पूंजीकृत तुलन-पत्र और एनबीएफसी तथा शहरी सहकारी बैंकों में सुधार से लाभान्वित हो रही है। हालांकि, अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं, खासकर वित्तपोषण में क्योंकि बैंकों को वैकल्पिक निवेश मार्गों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और वे अल्पकालिक जमाराशि पर अधिक निर्भर हैं, जिससे संभावित संरचनात्मक चलनिधि जोखिम बढ़ रहे हैं। बैंकों को घरेलू बचत को जुटाने और व्यक्तिगत ऋणों में तेजी से वृद्धि की निगरानी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे अतिरिक्त लीवरेज हो सकता है।

बाह्य क्षेत्र

गवर्नर ने बताया कि व्यापार घाटे में कमी और सेवाओं तथा धन प्रेषण अंतर्वाह में वृद्धि के कारण भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2023-24 में जीडीपी के 0.7% पर आ जाएगा, जो 2022-23 में 2.0% था। 2024-25 की पहली तिमाही में वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि के बावजूद, सेवाओं के निर्यात और धन प्रेषण में वृद्धि से सीएडी को वर्ष के लिए धारणीय स्तरों के भीतर रखने की उम्मीद है। जून 2024 से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सकारात्मक हो गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि बाहरी वाणिज्यिक उधारी में कमी आई। अगस्त 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 675 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो बाह्य क्षेत्र की आघात-सहनीयता और क्षमता को दर्शाता है। पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 अगस्त 2024 अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन; और (ii) भुगतान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है।

i) विनियमन

1. डिजिटल ऋण ऐप्स की सार्वजनिक रिपोज़िटरी

ग्राहकों के हितों की सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, ब्याज दरों और वसूली पद्धतियों संबंधी चिंताओं, अपविक्रय आदि के संबंध में डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश 2 सितंबर 2022 को जारी किए गए थे। तथापि, मीडिया रिपोर्टों ने डिजिटल ऋण में अनैतिक लोगों की निरंतर उपस्थिति को उजागर किया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के साथ अपने जुड़ाव का झूठा दावा करते हैं। तदनुसार, डिजिटल ऋण ऐप (डीएलए) के आरई के साथ जुड़ाव के दावे को सत्यापित करने में ग्राहकों की सहायता के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक आरई द्वारा नियोजित डीएलए की एक सार्वजनिक रिपोज़िटरी बना रहा है जो रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यह रिपोज़िटरी, आरई द्वारा (रिज़र्व बैंक के किसी मध्यक्षेप के बिना) सीधे रिपोज़िटरी को प्रस्तुत किए गए डेटा पर आधारित होगी और जब भी आरई विवरण रिपोर्ट करेंगे, अर्थात नए डीएलए को जोड़ना या किसी मौजूदा डीएलए को हटाना, तो यह अद्यतित हो जाएगी।

2. साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना की रिपोर्टिंग की आवृत्ति

वर्तमान में ऋण संस्थाओं (सीआई) को अपने उधारकर्ताओं की ऋण सूचना मासिक या ऐसे छोटे अंतराल, जैसा कि सीआई और साख सूचना कंपनियों (सीआसी) के बीच आपसी सहमति से तय किया गया हो, पर सीआसी को रिपोर्ट करना आवश्यक है। उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता की अधिक अद्यतन तस्वीर प्रदान करने के उद्देश्य से, सीआसी को ऋण सूचना की रिपोर्टिंग की आवृत्ति को मासिक अंतराल से बढ़ाकर पाक्षिक आधार पर या ऐसे छोटे अंतराल, जैसा कि सीआई और सीआईसी के बीच आपसी सहमति से तय किया गया हो, पर करने का निर्णय लिया गया है। पाक्षिक रिपोर्टिंग आवृत्ति यह सुनिश्चित करेगी कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई ऋण सूचना रिपोर्ट में अधिक नवीनतम जानकारी हो। यह उधारकर्ताओं और उधारदाताओं (सीआई) दोनों के लिए लाभदायक होगा। उधारकर्ताओं को सूचना के तेजी से अद्यतन होने का लाभ मिलेगा, विशेषतया तब जब उन्होंने ऋण चुका दिया हो। ऋणदाता, उधारकर्ताओं का बेहतर जोखिम मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे और उधारकर्ताओं द्वारा अधिक ऋण लेने के जोखिम को भी कम कर सकेंगे। आवश्यक निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

ii) भुगतान प्रणाली

3. यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा बढ़ाना

यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं के कारण भुगतान का सबसे पसंदीदा माध्यम बन गया है। वर्तमान में, यूपीआई के लिए लेन-देन की सीमा ₹1 लाख है। विभिन्न उपयोग-मामलों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी बाज़ार, आईपीओ अभिदान, ऋण वसूली, बीमा, चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य के हैं, अतएव यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

4. यूपीआई के माध्यम से प्रत्यायोजित भुगतान की शुरूआत

एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) का 424 मिलियन व्यक्तियों का बहुत बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। तथापि, उपयोगकर्ता आधार के और विस्तार की संभावना है। यूपीआई में "प्रत्यायोजित भुगतान" शुरू करने का प्रस्ताव है। "प्रत्यायोजित भुगतान" एक व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते से किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमति देगा। इस उत्पाद से पूरे देश में डिजिटल भुगतान की पहुँच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। विस्तृत निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएँगे।

5. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के अंतर्गत चेकों का निरंतर समाशोधन

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) वर्तमान में दो कार्यदिवसों तक के समाशोधन चक्र के साथ चेक संसाधित करता है। चेक समाशोधन की दक्षता में सुधार करने और सहभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने तथा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, बैच प्रोसेसिंग के वर्तमान दृष्टिकोण से सीटीएस को 'ऑन-रियलाइज़ेशन-निपटान' के साथ निरंतर समाशोधन में बदलने का प्रस्ताव है। चेक को कुछ ही घंटों में स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा तथा यह कार्य कारोबारी समय के दौरान निरंतर आधार पर किया जाएगा। समाशोधन चक्र वर्तमान टी+1 दिनों से घटकर कुछ घंटों का रह जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 50वीं बैठक 6 से 8 अगस्त 2024 के दौरान आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 22 अगस्त 2024 को, अर्थात् एमपीसी की बैठक के 14वें दिन, बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। उपर्युक्त पर और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक चर्चा करने के बाद एमपीसी ने संकल्प अपनाया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

'ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामक सिद्धांतों' पर परिपत्र का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 2024 को 'ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों' पर परिपत्र का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा ऋण प्रबंधन में मॉडल के उपयोग से जुड़े जोखिमों को कम करना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 609वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में केंद्रीय निदेशक मंडल की 609वीं बैठक आयोजित की।

श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट 2024-25 के विज़न, फोकस क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षाओं को रेखांकित किया। उन्होंने 'विकसित भारत' को प्राप्त करने की प्राथमिकताओं पर भी ज़ोर दिया। निदेशकों ने बजट के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा की और अपने विचार साझा किए।

केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ श्री पंकज चौधरी, माननीय वित्त राज्य मंत्री; डॉ. टी.वी. सोमनाथन, वित्त सचिव एवं सचिव, व्यय विभाग; श्री तुहिन कांत पाण्डेय, सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग; और डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे।

बोर्ड ने भू-राजनीतिक गतिविधियों और वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति और संभावना की भी समीक्षा की।

उप गवर्नर डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री सतीश के. मराठे, श्री एस. गुरुमूर्ति, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा और श्री पंकज रमणभाई पटेल - ने बैठक में भाग लिया। बैठक में श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग भी शामिल हुए।

मसौदे में क्रेडिट मूल्यांकन, उधारकर्ता स्कोरिंग, मूल्य निर्धारण और जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मॉडल परिनियोजन की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों की रूपरेखा दी गई है। मसौदे पर जन सामान्य और हितधारक की टिप्पणियाँ 4 सितंबर 2024 तक आमंत्रित की गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म

रिज़र्व बैंक ने 16 अगस्त 2024 को मास्टर निदेश - एनबीएफसी - समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म की समीक्षा की। रिज़र्व बैंक ने पाया है कि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी उधार प्लेटफ़ॉर्म) ने मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - समकक्षीय उधार प्लेटफ़ॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 का उल्लंघन किया है। इन उल्लंघनों में अनुचित निधि अंतरण तंत्र, गारंटीकृत प्रतिफल के साथ निवेश उत्पाद के रूप में पी2पी उधार को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और पूरी तरह से मध्यस्थ मंच के रूप में काम करने के बजाय जमाराशि स्वीकार करने और उधार देने की गतिविधियों में लगे रहना शामिल है।

इन मुद्दों को सुलझाने और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने निदेश के कुछ प्रावधानों को संशोधित और स्पष्ट करने का निर्णय लिया है। संशोधित प्रावधानों का विवरण इस परिपत्र के अनुलग्नक में दिया गया है, जिसमें अधिकांश परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। तथापि, अनुलग्नक की मद I(f)(ii) इस परिपत्र की तारीख से नब्बे दिन बाद प्रभावी होगा। मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - समकक्षीय उधार प्लेटफ़ॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017, इन संशोधनों को शामिल करने के लिए तदनुसार अद्यतन किया जाएगा, ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके और विनियामक मानकों के साथ बेहतर संरेखण हो सके। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. फिनटेक

फिनटेक क्षेत्र में एसआरओ को मान्यता (एसआरओ-एफटी)

रिज़र्व बैंक ने 28 अगस्त 2024 को हाल ही में जारी ढांचे के अंतर्गत फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ-एफटी) के रूप में मान्यता के लिए तीन आवेदनों की समीक्षा की। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (एफ़एसीई) को एसआरओ-एफ़टी के रूप में मान्यता दी गई। एक आवेदन को विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया गया, जबकि तीसरा आवेदन अभी भी जांच के अधीन है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय बाज़ार

वित्तीय बाजारों में एसआरओ को मान्यता देने संबंधी ढांचा - आवेदन आमंत्रित करना

रिज़र्व बैंक ने 19 अगस्त 2024 को वित्तीय बाज़ारों में स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए एक ढांचा जारी किया, जिसका उद्देश्य अनुपालन संस्कृति को बढ़ाना और नीति-निर्माण के लिए एक परामर्श मंच प्रदान करना है। 21 मार्च 2024 को जारी 'रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों की मान्यता हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचा' पर आधारित यह ढांचा, उद्देश्यों, जिम्मेदारियों, पात्रता मानदंडों, अभिशासन मानकों और एसआरओ मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया जैसे प्रमुख मापदंडों को रेखांकित करता है। इच्छुक संस्थाएँ ईमेल के माध्यम से या मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, रिज़र्व बैंक से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण

रिज़र्व बैंक ने अपने नाम पर धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क किया

रिज़र्व बैंक ने 29 अगस्त 2024 को अपने नाम पर धोखाधड़ी करने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क किया। रिज़र्व बैंक ने पाया है कि धोखेबाज़ जनता को धोखा देने के लिए इसके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम तौर पर, इसमें रिज़र्व बैंक के नकली लेटरहेड या ईमेल पते का उपयोग करके पीड़ितों को लॉटरी जीतने, निधि अंतरण या सरकारी योजनाओं के नकली प्रस्तावों से लुभाना शामिल होता है। धोखेबाज़ अक्सर आधिकारिक योजनाओं या संविदा की आड़ में प्रसंस्करण शुल्क या सुरक्षा जमा के लिए भुगतान का अनुरोध कर, पीड़ितों को पैसे देने के लिए राजी करते हैं।

अन्य मामलों में, धोखेबाज़ कॉल, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से रिज़र्व बैंक के अधिकारी बनकर डराने-धमकाने के तरीके का उपयोग करते हैं, व्यक्तिगत विवरण, खाता जानकारी या ओटीपी प्रदान न किए जाने पर बैंक खातों को फ्रीज या ब्लॉक करने की धमकी देते हैं। रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि यह व्यक्तिगत या कंपनी के फंड को नहीं रखता है, न ही यह लॉटरी जीतने जैसे प्रस्ताव भेजता है। जनता को सूचित किया जाता है कि वे इस तरह के धोखाधड़ी वाले संचार को अनदेखा करें, संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें और रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किसी भी दावे या मान्यता की प्रामाणिकता को सत्यापित करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जानी चाहिए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामांकन

केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2024 को श्री नागराजू मद्दीराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को डॉ. विवेक जोशी के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री नागराजू मद्दीराला का नामांकन 30 अगस्त 2024 से अगले आदेश तक प्रभावी है।

VI. डीएसआईएम

सांख्यिकी के बेंचमार्किंग पर विशेषज्ञ समिति

रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त 2024 को बैंक द्वारा प्रसारित सांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता की समीक्षा करने और उसे बेहतर बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के अधिदेश में वैश्विक मानकों के आधार पर सांख्यिकी की बेंचमार्किंग, जहाँ बेंचमार्क मौजूद नहीं हैं, वहाँ डेटा की गुणवत्ता का आकलन करना और संभावित डेटा परिशोधन पर मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है।

समिति की अध्यक्षता डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, उप गवर्नर, रिज़र्व बैंक करेंगे और इसमें डॉ. आर.बी. बर्मन, प्रो. सोनलदे देसाई और डॉ. पार्थ रे जैसे उल्लेखनीय सदस्य शामिल हैं। डॉ. ओ.पी. मल्ल संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। समिति द्वारा नवंबर 2024 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है, जिसमें रिज़र्व बैंक का सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. वित्तीय समावेशन और विकास

पूर्वस्नातक छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी क्विज़

रिज़र्व बैंक ने 20 अगस्त 2024 को पूर्वस्नातक स्तर पर कॉलेज छात्रों के लिए आरबीआई90क्विज़ की शुरुआत की घोषणा की। यह क्विज़ एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता है जिसे रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।

RBI 90 Quiz
Learn | Compete | Win

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने आरबीआई90क्विज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हुए, विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रतियोगिता छात्रों के बीच रिज़र्व बैंक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने में मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि रिज़र्व बैंक अपने जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं को जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार उत्पन्न करने और डिजिटल वित्तीय उत्पादों के सुरक्षित उपयोग की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। इस आरबीआई90क्विज़ कार्यक्रम में भाग लेने वाली टीमों को विभिन्न स्तरों पर आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 2 सितंबर 2024 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की वापसी की स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 30 अगस्त 2024 को कारोबार बंद होने पर संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹7261 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों में से 97.96 प्रतिशत वापस आ चुके हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 19 अगस्त 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का अगस्त 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, पाँच भाषण, सात आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। सात आलेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति;
ii) क्या खाद्य कीमतों में प्रभाव-विस्तार हो रहा है?
iii) केंद्रीय बजट 2024-25: एक मूल्यांकन;
iv) भारत के सेवा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त क्षमता का अनुमान;
v) फिनटेक और केंद्रीय बैंकों का उद्भव: एक टेक्स्ट माइनिंग-आधारित सर्वेक्षण;
vi) निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2023-24 में संवृद्धि और 2024-25 के लिए संभावना; और
vii) धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में प्रगति को मापना: बजट दस्तावेजों पर प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) का अनुप्रयोग। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. जारी आंकड़े

अगस्त 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विषय
1	दिनांक 9 अगस्त 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	जुलाई 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – अगस्त 2024
4	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) – जुलाई 2024
5	परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जुलाई 2024
6	जुलाई 2024 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
7	समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 89वां दौर का परिणाम
8	2024-25 की पहली तिमाही के लिए सेवाएं और आधारभूत संरचना संभावना सर्वेक्षण
9	विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2023-24 की चौथी तिमाही

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।